<u>सख्याः 248/2024/907/35-4-2024/35-4099/25/2023</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

जिलाधिकारी,
बाँदा ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊः दिनांक: 21 अगस्त 2024

विषयः जनपद-बाँदा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वितीय वर्ष 2022-23 में जनपद बाँदा में शासनादेश संख्या-445/2023/1111/35-4-2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 238.67 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 119.34 लाख की धनराशि अवमुक्त कीगई थी।

2- जिलाधिकारी, बाँदा के पत्र सं0-347/त्व०आ०वि०यो०/2022-23 दिनांक 15 जुलाई, 2024 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत उक्त कार्य की अनुमोदित लागत रु० 238.67 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 119.34 लाख का उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 119.33 लाख (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
विकास खण्ड जसपुरा में गड़रिया	238.67	119.34	119.33

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(रैपुरा) से सिद्ध बाबा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।			

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2023 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैकडाकघर में नहीं रखी। जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2025 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2025 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 119.33 लाख (रुपये एक करोड़ उन्नीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या0-40 लेखाशीर्ष 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्याः248/2024/907(1)/35-4-2024/35-4099/25/2023, तद्दिनांक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश), प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण ग्रामीण/अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र०।
5. अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव सचिव/विशेष सचिव, मामुख्यमंत्री जी ०, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मामुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा ।
10. मुख्यवरिष्ठ कोषाधिकारी, बाँदा ।
11. बित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग 5- 12. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
13. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बाँदा ।
14. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा।
15. नोडल अधिकारी, बजट आबंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आजा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।